वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 10/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक 11-12 संयुक्तांक सितम्बर-दिसम्बर 2010

''सही अर्थों में कानूनन सबके समान होने का मतलब है कि जो कानून हम पर लागू होते हैं, उन्हें बनाने में भागीदारी का अधिकार भी मिलें।''

- नेल्सन मंडेला

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में सत्य शोधक ओबीसी परिषद द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन के महामंत्री श्री जी. करुणानिधि का सम्मान

उपरोक्त सम्मान भारत में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य एवं विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सांसद गोपीनाथ मुंडे द्वारा प्रदान किया गया। ऊपर चित्र में कार्यक्रम का संचालन करते इंडियन एयरलाइन्स अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप डोबले एवं सभागार को संबोधन करते श्री जी. करुणानिधि।

माननीय संसद सदस्य श्री गोपीनाथ मुंडे श्री जी. करुणानिधि को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए।

महान समाज सुधारक ई.वी. रामासामी **पेरियार** के 132 वें जन्मतिथि पर एक गोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा वाराणसी में किया गया। जिसमें सामाजिक विषमता पर कार्य कर रहे नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं पेरियार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते प्रतिनिधिगण।

सभागार को संबोधित करते श्री अमृतांशु

गोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री सूबेदार राम

सभागार को संबोधित करते श्री रवीन्द्र राम

सभागार को संबोधित करते श्री मुसाफिर

सभागार को संबोधित करते श्री अरुण प्रेमी

सभागार को संबोधित करते श्री अशोक आनंद

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 11-12 - सितम्बर-दिसम्बर 2010

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

परामर्श

जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी

रवीन्द्र राम

प्रकाशक

रानी अमृतांशु

संपादक

अशोक आनंद

9415224153

मानद संपादक

अमृतांशु

9415392194

मानद सह संपादक

डा. हेमन्त कुशवाहा

9453359701

विनोद प्रसाद शर्मा

9415889947

नवीन कुमार यादव

9305310507

प्रबंधक

अरविन्द कुमार

सहयोग

बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद मेवा लाल यादव

पत्राचार

ई-मेल : aiobc.up@gmail.com

द्वारा- **होटल सुरभि इण्टरनेशनल**

पहड़िया, वाराणसी-221007

सहयोग राशि : 10 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक

प्रतीक प्रिंटर, नाटी इमली, वाराणसी

आओ बौद्धिक विमर्श करें

बौद्धिक विमर्श ने सदैव ही आत्म चिंतन के लिए मार्ग खोला है। प्रश्न बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण का हो, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक पहलुओं पर चिंतन की बात हो, ईश्वर की अवधारणा पर होनेवाले तमाम चमकदार अनुष्ठानों के बीच संशय की एक पृथक दृष्टि मंथन से उपजे तर्कपूर्ण विमर्श हो, मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकार किए जाने को लेकर पूरे विश्व के नस्ल भेद, रंग भेद के खिलाफ अंतराष्ट्रीय महानायकों के संघर्ष हों, बौद्धिक विमर्श ने समाज को सदैव ही सुन्दर गढ़ने के मार्ग खोले हैं। या फिर कहें कि हर चमकती चीज के पीछे अनदिखे काले सच को सामने लाने का प्रश्न हो, बौद्धिक विमर्श ने हमेशा स्वागत किया है।

इसी बौद्धिक विमर्श से हम पाते हैं कि अनपढ़ और जाहिल बने रहने की हमारी कोई नियति नहीं थी बल्कि साजिश के शिकार थे। ज्ञान और सुख (संपदा) के अधिकार से बंचित रखने के लिए उन्हें मानसिक दासता के मार्ग दिखाए गए। आस्था, भक्ति और ईश्वर की छद्म अवधारणा किंतु बृहद चमत्कारिक स्वरूप की संरचना कर उन्हें एक ऐसे प्रकाशपुंज की दिव्य रौशनी दिखाई गई कि वे आस्था सिक्त होकर स्वयं को समर्पित करते रहे। इसमें ज्ञान की कोई जगह नहीं थी और विमर्श के लिए कोई स्थान नहीं। विरोध करने वालों या इस किले के बाहर निकलनेवालों के लिए कोई भी मार्ग आसान नहीं था।

मुझे स्मरण आता है जब मैं छोटा था। उम्र कोई 16 या 17 के बीच होगी। कॉलज में पढ़ते हुए अन्य सहपाठियों के बीच चर्चा और बहसों के बीच किसी ने कहा कि जहां विज्ञान की पंहुच खत्म होती है, आध्यात्म वहीं से शुरू होता है। आज मैं सोचता हूँ कि इस एक छोटे से वाक्य ने उन सभी समाजों के स्वाभाविक विकास होने के रास्ते कुंद कर दिए जो अंध विश्वासों और अप्रमाणिक अलौकिक दिव्य आस्थाओं के प्रति ही समर्पित रहे।

जिस विज्ञान ने अपने पूरे शोध और खोजों से दुनिया को चमत्कारों के अर्थ बताए। मनुष्य होने और प्रगतिशील होने के सभी अर्थपूर्ण उपायों की खोज की, अंधकार से उजाले की तरफ यात्रा की, कृषि से लेकर चिकित्सा तक के अनगिनत मानदंड स्थापित किए। यहां तक कि जन्म और मृत्यु तक के सभी प्रभावित करने वाले कारकों की तलाश की, उसी विज्ञान को मिथकों ने आध्यात्म के आगे बौना बना दिया। ब्राम्हाण्ड की यात्रा करने का स्वप्न जिस विज्ञान ने पूरा किया हो, मनुष्य की तमाम विकृतियों को चाहे वो परिवेशगत हो, जन्मगत हो, आनुवांशिकी हो, चिकीत्सीय विज्ञान ने अपने शोधों से हल किया हो, अन्ततः हम उसे यह कहकर नकार देते है कि सब ईश्वरीय फल है।

हमारा वृहद जनमानस इस छद्म स्वीकारोक्ति से अलग नहीं है। यद्यपि कि आर्विभाव और अंत दोनों ही विज्ञान की मूल अवधारणओं में है लेकिन जगत लीला कहकर हम पुनः एक छद्म आधार के समक्ष अपने को समर्पित कर देते हैं।

इन सबके बीच जो सबसे शक्तिशाली तथ्य यह है कि हमने इन छद्म अवधारणओं को, परिकल्पनाओं के सृजित संसार और स्वरूप को कभी भी बौद्धिक विमर्श की दृष्टि से देखा ही नहीं। प्रश्न करना बौद्धिक विमर्श की पहली कड़ी है। प्रश्न का उत्तर न भी आए तब भी प्रश्न करने की जिज्ञासा, वास्तविक जीवन को समझने की दृष्टि देगी।

हम सोचकर देखें और पाएगें कि अनपढ़ और जाहिल, स्पर्धा से बाहर रहने की हमारीकोई नियति नहीं थी जिसे भाग्य का अभिशाप कहा जाए अपितु यह एक घनीभूत, शोधोपरक विवेकपूर्ण निर्णय किया गया षणयंत्र रहा है जिसे हम अपनी नियति मान बैठे है। सच यह है कि समाज की अवधारणाओं में उनके लिए मनुष्य को कई निचले खानों में बांटकर स्वयं को स्रस्टा और नियंता की श्रेणी में रखकर समाज के 85 प्रतिशत मनुष्यों को उनका जीवन उनके लिए अभिशाप बनाने की पूरी पद्धति का निर्माण किया गया। कई बार अचरत होता है कि हमारी संस्कृति का चहुंमूखी बखान करने वाले मनीषियों ने कभी समाज के अन्तर्निहित श्याह पक्षों पर विवेचना क्यों नहीं किए। इसमें पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये मनीषी समाज के उन वर्गों से नहीं आते रहे जिन्हें दास वर्ग कहा गया। या कहें कि उन्हें दोयम दर्जे पर जीवन यापन की यातना से रू-ब-रू नहीं होना पड़ा। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि वह कौन सी संस्कृति और सभ्यता है जिसमें शिक्षा, संगीत और धर्म अर्थात पूरी सत्ता कुछ खास लोगों के आधिपत्य में रहा

और शेष 85 प्रतिशत पशुओं की सेवा करते रहे, अनाज बोते रहे उगाते रहे, उनके उतारे कपड़े धोते रहे, उनका त्यज्य साफ करते रहे, चारपाईया बनाते रहे, रजाईयां बुनते रहे, दासियां सेवा करती रहीं । यानी कि सबकुछ उनके मन माफिक था और समस्या कुछ नहीं थी। परेशानी तब शुरू हुई जब हमने उनके गढ़ों, किलों और उनके बनाएं छद्म साम्राज्य में सेंध लगाने के प्रयास किए। हमने ईश्वर और अवतारवाद में उभरे सभी ईश्वरीय नायकों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े किए। हमने स्थापित किया कि छद्म ईश्वरवाद की पूरी व्यवस्था ने दास संस्कृति की स्थापना की। शंकराचार्यों के निर्माण किए। तमाम शक्तिपीठों की स्थापना हुई और मंचों पर केवल वे ही (अर्थात जो 4000 जातियों में से नहीं थे जिन्हें समाज निर्माण के निचले पायदान नसीब थे) उपस्थित थे। ये शिरोमणी महामानव कभी दास संस्कृति के शिकार नहीं थे। यही ब्राह्मणी संस्कृति या ब्राह्मणवाद (आवश्यक नहीं वे ब्राह्मण हों) से उपजे छद्म ईश्वरवाद ने कभी मनुष्य को एक नहीं होने दिया। हम एक ही जगह होते रहे परन्तु सांस हम अलग अलग हवाओं में लेते रहे। यदि गलती से भी इन हवाओं को मिलाने की कोशिश की गई तो गर्भगृहों से कुल देवता जाग पड़े और जबरन उन्हें अलग किए गए। शिरोमणी महामानवों को दास संस्कृति का खत्म होना स्वीकार्य नहीं था।

हमारा आग्रह बौद्धिक विमर्श का इसलिए है क्योंकि आनेवाले कल के लिए हम पूर्वाग्रहों को तोड़े, उन सभी मिथकों मान्यताओं, किवदन्तियों, लोकाक्तियों, कहावतों, परम्पराओं और परिभाषाओं पर तर्कपूर्ण विवेचना के लिए स्वयं को तैयार करें। यदि सहज अविश्वास की स्थिति नहीं बनती दिखती तो प्रश्न के लिए सदैव तैयार रहे ताकि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। चेतनशील होने के अपने कर्तव्य का निर्वहन सजग होकर कर सके।

एक दृष्टांत मुझे याद आता है। भारत के प्रखर समतावादी और आत्मसम्मान आंदोलन के जन्मदाता ई०वी०रामासामी पेरियार एक बार अपने कार्यालय में बैठे थे। दीवाल पर पेंडुलम वाली घड़ी लगी थी एक व्यक्ति उनके पास आया और आश्यर्चजनक मुद्र में पूछा - भगवान का क्या चमत्कार है, उनकी कृपा से यह चल रहा है न। पेरियार ने कहा - नहीं, हमने एक आदमी को घड़ी के पीछे लगा रखा है। हम उसे पैसे देते है और वह उसे हिलाता रहता है। उस आदमी के मन में फिर भी कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ। फिर वह विस्मित होकर बोला - अच्छा। फिर पेरियार ने उसे कहा जाओ और घड़ी उतार लाओ। तब उस व्यक्ति ने देखा कि यह और कुछ नही बल्कि इस्पात का एक स्प्रींग स्वतः पेंडूलम घुमाता रहता है। यह यांत्रिकी है और कुछ नहीं। मसला चेतनशील होने का है।

हम कोई भी ऐसा कार्य क्यों करें जिसके पीछे केवल यह तर्क है कि ऐसी परम्परा है। क्या इन परम्पराओं को बौद्धिक विमर्श की कसौटी पर नहीं आंका जाना चाहिए। हमारे आदर्श कबीर और बुद्ध क्यों नहीं होने चाहिए।

चमत्कार कुछ नहीं होते। यह परिकल्पनाओं के शिखर पर स्थित उस दिवास्वप्न की तरह है जिनका मूर्त अस्तित्व नहीं होता। यह आधारभूत प्रमाणिक सच है कि हम अपने पूर जीवन काल में किसी चमत्कार से परिचित नहीं होते हैं। आखिर क्यों ?जब भी कुछ हमारी उम्मीदों के विपरीत मन के भीतर का अनकहा, अनदेखा डरा सहमा संशय झुठला दिया जाता है, हम चमत्कार मान देते हैं। विश्व के तमाम संदर्भों के साक्ष्य इक्कट्ठे कर लिए जाएं परन्तु चमत्कार का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य की अवधारणा इसी छद्म ईश्वरवाद की कड़ी है जहां आचार्य मनुष्य को उसके जीवन को ही मिथ्या यानी झूठ कहकर पूरी सृष्टि को नकारने अर्थात स्वयं को नकारने की बात करता है। इसीलिए आस्था और बौद्धिक विमर्श दोनों एक साथ नहीं चलते। क्योंकि धर्माचार्य बौद्धिक विमर्श करेगा तब आस्था पर किसका विश्वास होगा। फिर तो धर्माचार्य को कहना पड़ेगा कि जगत ही सच है, क्योंकि जीवन इसी मिथ्या जगत की देन है। आओ आइन्स्टीन की पूजा करें। न्यूटन पर फूल चढ़ाए। आक्रमीडिज का मंत्र जाप करें। आर्यभट्ट के लिए गीत गांए। गैलेलियों के लिए नृत्य करें आओ बौद्धिक विमर्श करें।

एक बार पुनः कथाकार जयनंदन की तरफ से -

एक पेड़ लगाएं
दो चार भूखों का खाना खिलाएं
नए वर्ष में कुछ करें न करें
एक अनपढ़ को पढ़ना सिखाएं

blog: signpost2.blogspot.com
email : aiobc.up@gmail.com

व्ही.एम. पोतदार
अध्यक्ष

केजीएसजी बैंक
जन-जन का बैंक

फोन : 0542-2220752, फैक्स : 0542-2220317
काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)
प्रधान कार्यालय : सी. 19/40, फातमान रोड,
सिगरा, वाराणसा (उ.प्र.) 221 002

संदर्भ संख्या : कागोस/अविवि/ऋण-118/1555/2010

दिनांक 06-09-2010

सम्पादक
वॉइस ऑफ ओबीसी
द्वार होटल सुरभि इण्टरनेशनल
पहड़िया
वाराणसी उ.प्र. 220107

महोदय

आपके पत्रांक स/115/10 दिनांक 10.08.2010 प्राप्त हुआ। हमें जानकर प्रसन्नता हुई कि आप समाज में पिछड़े वर्गों के प्रगतिशील तबकों की जानकारी हेतु "वॉइस ऑफ ओबीसी" पत्रिका का प्रकाशन करते हैं।

आपके इस प्रयास से समाज में उपेक्षित लोग अपनी प्रगति व सुधार हेतु स्वयं अभिप्रेरित तो होंगे ही उन्हें जिन्दगी में रोल मॉडल बनाने में भी सहायता मिलेगी।

सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ,

सादर

भवन्निष्ठ

(व्ही.एम.पोतदार)

नेल्सन मंडेला

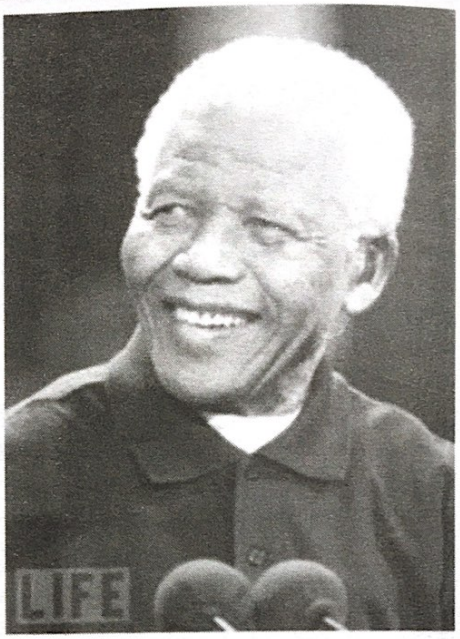

समाज, देश और दुनिया में यदि कुछ अस्वाभाविक हो रहा है, उसे एक मूक दर्शक की तरह सहते चले जाना कायरों का काम है, गरीबी-अमीरी, अल्प संख्यक-बहुसंख्यक तथा श्वेत-अश्वेत की नीतियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक आंधी सी पूरी दुनिया में आई। मानवता बहुत दिनों तक अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकी। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को यह प्रेरणा दी कि रंगभेद नीति से विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। समाज का एक हिस्सा यदि टूटकर बिखर जाएगा तो प्रगति, विकास अधूरा ही रहेगा।

इतिहास गवाह है कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। 18 जुलाई, 1918 में नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला का जन्म हुआ। उनके पिता गेडला हेनरी ग्राम प्रधान थे। नेल्सन का परिवार क्षेत्र का शाही परिवार था। यूरोप द्वारा इस क्षेत्र पर शासन होते ही रंगभेद और अत्याचारों का सिलसिला चल पड़ा। अभी नेल्सन मंडेला 12 वर्ष के ही हुए थे कि पिता का साया सर से उठ गया। वे 13 भाई बहन थे। श्री मंडेला ने क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में किसी तरह पढ़ाई की किंतु उन्हें हर रोज यह याद दिलाया जाता कि वे अश्वेत हैं अतः उनको यह काम नहीं दिया जा सकता। उनके भीतर का मानव कुछ करना चाहता था, आगे बढ़कर अपने नेतृत्व की छाप छोड़ना चाहता था लेकिन शिक्षा के दौरान नेल्सन को यह अंदाजा करा दिया गया था कि वे यदि अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। उनके मन के भीतर असंतोष बढ़ता ही जा रहा था।

हेल्डटाउन के अश्वेतों के कालेज में नेल्सन का संपर्क ओलिवर टॉम्बो से हुआ तथा दोनों मिलकर अपनी गतिविधियों को साकार रूप देने लगे तथा उन्हें प्रसिद्धि भी मिलने लगी। कॉलेज प्रशासन को यह सहन नहीं हुआ और उन्हें कॉलेज के बाहर निकाल दिया गया।

नेल्सन मंडेला जोहानसबर्ग आ गए और कुछ करने की चाह में जुट गए। उन्होंने एक सोने की खान में चौकीदार की नौकरी की लेकिन उनका अन्तर्द्वन्द्व रूकन का नाम नही ने रहा था। भीतर की आग रह रह कर भड़क उठती थी, आखिर उनका कसूर क्या है? वे सम्मान से जीवनयापन करना चाहते थे। कदम कदम पर अपमानित होना उनके वश के बाहर था। अपने मन के भीतर उठ रहे बवंडर को और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली। 1947 में वे इस कांग्रेस के सचिव चुन लिये गए। अपने विचारों को सशक्त रूप देने के लिए उन्होंने कानून की शिक्षा लेना प्रारंभ किया किंतु वैचरिक क्रांति के कार्य में व्यस्त होने के कारण परीक्षा में असफल रहे।

1951 में नेल्सन मंडेला को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अश्वेतों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने 1952 में एक कानूनी फर्म बनाई। यह अपने प्रकार की पहली फर्म थी तथा लोकप्रियता हासिल कर रही थी। सरकार नेल्सन मंडेला की लोकप्रियता से नाखुश थी अतः उन्हें वर्गभेद के आरोप में जाहानसबर्ग से बाहर भेज दिया तथा किसी भी बैठक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक क्रांतिकारी जो महात्मा गांधी के विचारों से पूर्णतया प्रभावित थे आखिर कैसे चुप बैठ सकते थे। भूमिगत रहते हुए उन्होंने क्लिपटाउन पहुंचकर अश्वेतों के अलग-अलग समूहों में काम करना शुरू कर दिया तथा उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की आवाज भीतर भीतर मजबूत होने

लगी। रंगभेद के खिलाफ आंदोलन साफ नजर आने लगा। सरकार बौखलाई हुई थी। उन्होंने पूरे देश से 156 नेताओं को 5.12.1956 को गिरफ्तार कर लिया। उनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। मुकदमा चला और 1961 में नेल्सन और उनके 25 साथियों को निर्दोष साबित करते हुए रिहा कर दिया।

1952-1959 के बीच एक ओर सरकार एक दमनचक्र तो दूसरी ओर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन का जनाधार बढ़ता गया। सरकार ने कुछ ऐसे कठोर कानून बनाए जो अश्वेतों को पसंद नहीं आए। आंदोलन दिन ब दिन भयावह रूप ले रहा था। सरकारी कानूनों के विरोध में नेल्सन के नेतृत्व में प्रदर्शन किये गए। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने गोलियों से प्रदर्शनकारियों का कलेजा छलनी कर दिया।

नेल्सन ने एएनसी का नेतृत्व किया और अध्यक्ष बनकर नई राह अपनाई। जोश वही, लक्ष्य वही किंतु रास्ता नया था। उन्होंने अश्वेतों के लिए न्याय और सम्मान की गुहार लगाई। सरकार ने उनके इस दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पूरी दुनिया सरकार के अमानवीय निर्णयों से हैरान थी। नेल्सन को देश के बाहर भेज दिया गया। उन्होंने वहाँ भी अपनी जंग जारी रखी और अदीस अबाबा में अफ्रीकी नेशनलिस्ट लीडर्स कांग्रेस को संबोधित किया। अल्जीरिया होते हुए वे लेदन गए और विपक्षी दलों से मुलाकात कर पूरी दुनिया को अपने विश्वासमत में लेने का प्रयास किया।

दक्षिण अफ्रीका आते ही उन्हें गिरफ्तार कर पांच साल की सजा सुनाई गई। आरोप लगाया गया कि वे अवैधानिक रूप से देश के बाहर गए थे। उनके कार्यालय को तोड़-फोड़ कर उन पर देश के खिलाफ लड़ने का आरोप लगाते हुए उम्र कैद की सजा दी गयी। जेल जाने से पहले नेल्सन ने आंदोलन के समय कहा-

''मैंने अपना पूरा जीवन अफ्रीकी लोगों के संघर्ष में लगाया है। मैं श्वेत रंगभेद के खिलाफ खड़ा हूँ और मैं अश्वेत रंगभेद के खिलाफ भी लड़ा हूँ। मैंने हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ जीवन यापन कर पांएगे। यही वह आदर्श है जो मेरे लिए जीवन की आशा बनी और मैं इसी को पाने के लिए जिंदा हूँ और अगर कहीं जरूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ।''

अदालत में उपस्थित सभी लोग नेल्सन का मन ही मन समर्थन कर रहे थे। जेल में कई उतार चढ़ाव आए। नेल्सन का स्वास्थ्य बिगड़ा। 1989 में जब दक्षिण अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन हुआ तब अश्वेतों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। 11 जनवरी 1990 को नेल्सन पूरी तरह आजाद हो गए।

अश्वेतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने कनवेंशन फार ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका (कोडसा) का गठन किया जो देश के संविधान में परिवर्तन करने में समर्थ राही। डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला के इस महान कार्य के लिए 1993 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।

दक्षिण अफ्रीका में 1994 में चुनाव समभाव सदभाव से संपन्न हुए। 10 मई 1994 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की 60 प्रतिशत वोट मिले। पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला के समर्थन में थी। अपने लक्ष्य को पाकर नेल्सन मंडेला ने कहा, 'हम अपने आप से वायदा करें कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी से, कठिनाइयों से, कष्टों से, लिंगभेद से और किसी भी प्रकार के शोषण से आजादी देंगे और जब कभी भी इस खूबसूरत धरती पर एक दूसरे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।''

कौन जानता था कि एक चौकीदार की नौकरी करने वाला बाद में चलकर इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। नस्लभेद के खिलाफ अपना पूरा जीवन समर्पित कर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति का गौरव हासिल किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। न्याय और लोकतंत्र के लिए उनका संकल्प उन्हें विश्व में अद्वितीय बनाता है।

भेदभाव जहाँ भी होता है, जिस रूप में भी होता है, मानवता के लिए असहनीय होता है, आत्मा को कचोटता है, पीढ़ियां नेल्सन मंडेला जैसे संघर्षशील महान व्यक्ति के सामने सदैव नतमस्तक रहेंगी तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहेंगी।

रागिनी श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक
राजभाषा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षे.का., वाराणसी

नेल्सन मंडेला का जेल जीवन

दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला ने रंगभेद विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष कर दुनिया के सामने एक अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। 1944 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद लगातार नस्लवाद के खिलाफ लड़ते रहे और राजद्रोह के आरोप में 1962 में गिरफ्तार कर लिये गये। उम्र कैद की सजा सुनाकर इन्हें रॉबेन द्वीप भेज दिया गया। किन्तु इस सजा से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। इन्होंने जेल में अश्वेत कैदियों को भी लामबन्द करना शुरू कर दिया।

जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अन्ततः 11 फरवरी 1990 को रिहाई हुई। प्रस्तुत लेख विश्व शान्ति के लिए नोबेल पुस्कार से नवाज़े गये श्री मण्डेला के जीवन की दास्तान है, जो उनकी आत्मकथा "लांग वाक टू फ्रीडम" के जेल प्रसंगों पर आधारित है। श्री मण्डेला के शब्दों में.....

"प्राधिकारीगणों द्वारा रॉबेन द्वीप स्थिति जेल में सजा काट रहे कैदियों का वर्गीकरण ए, बी, सी, व डी, चार श्रेणियों में किया गया था। ए सबसे श्रेष्ठ जिन्हें ज्यादा सुविधायें दी गयी थी और डी सबसे नीचे जिन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जेल लाने के समय सभी राजनीतिक कैदियों को डी वर्ग मिलता था। सामान्य तौर पर किसी राजनैतिक कैदी को डी श्रेणी से सी में पहुँचने के लिए वर्षों लग जाते थे। इस विभेद से हमें घिन आती थी। यह भ्रष्ट और नीचा दिखाने वाली थी। सामान्य और राजनीतिक कैदियों के नियंत्रण और शमन का यह एक तरीका था। हमने इसकी आलोचना की सभी राजनीतिक कैदियों को एक ही कटेगरी मिले, यही हमारी मांग थी। इसे नकारा नहीं जा सकता कि यह वर्गीकरण की व्यवस्था कैदी जीवन की एक दृढ़ और अनमनीय व्यवस्था का रूप था। यदि कोई डी ग्रुप कैदी की हैसियत से विरोध करता तो वह छः माह में केवल एक पत्र प्राप्त कर सकता था, प्राधिकारी वर्ग उससे कहते, "अपने व्यवहार को सुधारो और सी ग्रुप के कैदी बन जाओ, तब तुम छः महीने में दो पत्र पाने लायक बन जाओगे"।

यह वर्गीकरण सजा की अवधि के समानान्तर चलता था। यदि किसी को आठ साल की सजा भुगतनी होती थी, उसे पहले दो वर्षों तक डी श्रेणी में रखा जाता था, अगले दो वर्षों तक सी और आगामी दो वर्षों तक बी एवं आखिरी दो वर्षों में ए श्रेणी दी जाती थी। लेकिन जेल के अधिकारी इस वर्गीकरण व्यवस्था को राजनीतिक कैदियों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। कठिन मेहनत से प्राप्त की गयी उनकी श्रेणी कम करने की धमकी से उनके व्यवहार को वे नियंत्रित करते थे। यद्यपि कि रॉबेन द्वीप लाये जाने के पूर्व मैं जेल में दो वर्षों की कैद काट चुका था, फिर भी जब मैं यहां आया तो मुझे डी ग्रुप ही मिला। मैंने अपने व्यवहार से समझौता नहीं किया। ऊपर की श्रेणी में जाने का सबसे तीव्र रास्ता था अधीनता स्वीकार करना और कोई शिकायत नहीं करना। जेल रक्षक कहते, "यू आर ए ट्रबल मेकर, तुम्हें ताउम्र डी ग्रुप में रहना है"। डी ग्रुप कैदी होने के नाते मैं हर छः महीने में केवल एक पत्र और एक मुलाकाती के लिए ही हकदार था। मैंने इसे जेल व्यवस्था की सबसे अमानवीय बंदिश पाया। अपने परिवार से पत्र व्यवहार व संदेश माध्यमों से सम्पर्क रखना हमारा मानव अधिकार है। इसे बनावटी नियमों से नहीं रोका जाना चाहिए। किन्तु जेल जीवन की यही असलियत थी। एक सुबह मुझे मुलाकाती कक्ष में बुलाया गया। मैं कमरे के एक किनारे बैठ गया, उत्सुकता से इंतजार करने लगा। मैंने ग्लास की दूसरी तरफ विनी मण्डेला के मनोहारी चेहरे को देखा। विनी हमेशा सुन्दर वस्त्रों में जेल विजिट के लिए आती थीं। यह बहुत ही कुण्ठित कर देने वाली बात थी कि मैं अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकता था, उसके बगल में बैठकर बात-चीत नहीं कर सकता था, प्यार भरी नाजुक बातें नहीं कर सकता था, अंतरंग बातों व निजी क्षणों के लिए हमें अनुमति नहीं थी। हमें अपने सम्बन्धों को दूर से कायम करना होता था, उन लोगों के नाक के नीचे जिन्हें हम पसन्द नहीं करते थे। बाद के दिनों में मैंने पाया कि चाइल्ड वेल्फेयर ऑफिस से मेरी पत्नी को कार्यमुक्त कर दिया गया। पुलिस द्वारा उनके कार्यालय पर छापा मारा गया और उन्हें भला-बुरा कहा गया। प्राधिकारियों को यह विश्वास था कि गुप्त तरीके से वह मुझ तक सूचनाएं पहुँचाती हैं। सामाजिक कार्यकर्त्री

के रूप में वह अपने काम को बहुत पसंद करती थीं। पत्नी पर इस तरह की रोक और उनकी पीड़ा ने मुझे परेशान कर दिया। मैं उनकी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सका। सत्ता में बैठे लोगों ने उनका जीवन दूभर कर दिया था। खुद की देखभाल करना उनके लिए कठिन हो गया था। मेरी बेबसी एवं शक्तिहीनता ने मुझे बहुत कष्ट दिया।

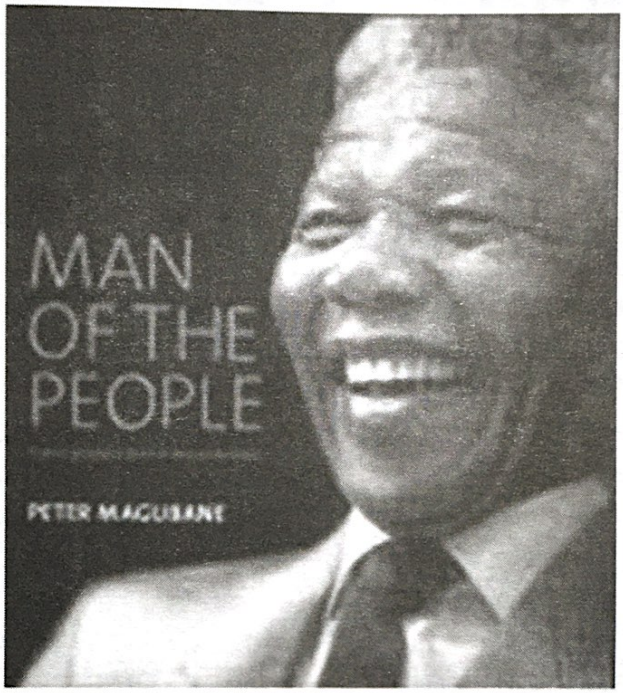

जिस कोठरी में हमें रखा गया था उसे तीन कदमों में नापा जा सकता था। वह छः फीट चौड़ी थी और खड़े होकर चलने पर सिर छत से टकराता था। कोठरी की दीवारें दो फीट मोटी बनायी गयीं थीं। उन पर लोहे की ग्रिल का एक दरवाजा था और लकड़ी का एक अतिरिक्त दरवाजा भी था। रात्रि में पहरेदार लकड़ी का दरवाजा भी बन्द कर देते थे। जेल में राजनीतिक कैदियों को सामान्य अपराधियों की तरह पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता था। पहरेदार सब पर सख्त नज़र रखते थे कि कैदी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करें, भले ही कड़ी धूप हो। अफ्रीकी और भारतीय कैदियों के भोजन में भी भेद-भाव बरता जाता था। हमने इस भेदभाव का भी कड़ा विरोध किया। दिनभर तो कैदियों को बातें करने की मनाही थी, लेकिन शाम को काम से छुट्टी पाने के बाद वे बातचीत कर सकते थे। इस समय का उपयोग हम राजनीतिक वार्तालाप के लिए करते और गुप्त सूत्रों से आयी खबरों के आधार पर स्थिति की समीक्षा करते।

1960 के दशक के दिन बहुत खराब गुजरे। जेल अधिकारियों ने दुखद घटनाओं में शरीक होने की इजाजत नहीं दी। मेरी मां का देहान्त हो गया था। अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी गयी। इसके बाद बड़े बेटे का दुर्घटना में निधन हो गया, इस बार भी अन्तिम क्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं दी गयी।

जनवरी 1965 में हमें चूने की खान में काम करने के लिए ले जाया गया। यह रोबेन आइलैण्ड के बीचो-बीच था। चूने की खुदाई का काम आसान नहीं होता। इसे पहले गेंती से परत-दर-परत तोड़ना होता था और उसके बाद बेल्चे से निकालना होता था। कड़ी मशक्कत की वजह से हाथों में छाले पड़ गये थे और खून भी निकल आया था। इस बात की तसल्ली थी कि बाहर की प्रकृति के दर्शन हो रहे थे। मेहनत से भी ज्यादा तकलीफ थी कड़ी धूप, जिसमें सब पसीने से नहा जाते थे। इससे भी कष्टप्रद थी उसकी चौंध, जिसका आँखों पर बुरा असर पड़ता था।

कैदियों पर जो बहुत से प्रतिबन्ध लगे हुए थे, उनमें एक समाचार पत्र पढ़ना भी था। यह घोर अपराध माना जाता था। अखबार बरामद होने पर कड़ी सजा मिलती थी। एक दिन मुझे एक जगह पर पड़ा अखबार दिख गया। अपनी कमीज के नीचे छिपा कोठरी में आकर पढ़ने लगा। रंगे हाथों पकड़ा गया। तीन दिन तक एकान्त में रहने और खाना न मिलने की सजा मिली। इन्हीं दिनों मैंने अपनी आत्मकथा कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर लिखने की शुरूआत की, जो चोरी छिपे जेल के बाहर ले जाये जाते थे।"

मंडेला साहब इतिहास पुरूष बन चुके हैं। समता, समानता व मानववधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक योद्धाओं के आदर्श तो है ही, हम सब पिछड़े, दलितों, शोषितों के युगों-युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे मानवाधिकार व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं की लम्बी पंक्ति में हमें आगे खड़े दिखाई देते हैं। आइये व्रत लें, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम अपने मानव-मानव के बीच विभेद की दीवार ढहा नहीं लेते।

अशोक आनन्द
E-mail:-upasakashokanand@gmail.com
www.merisrijanyatra.blogspot.com

जात गिनने से शुरुआत होगी

जाति आधारित जनगणना से समाज के बंटने की दुहाई देने वाले या तो समाज से आंख चुराना चाहते हैं या फिर उसे ज्यों का त्यों बनाए रखना

प्रियदर्शन

देश में जाति-आधारित जनगणना को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। कम से कम तीन तरह की राय हमारे समाने बिल्कुल स्पष्ट है, पहली राय के मुताबिक ऐसी गिनती समाज में जातिवाद को मजबूत करेगी और देश को पीछे ले जाएगी। दूसरी राय ठीक उलटी है कि जाति आधारित जनगणना के बिना हम न्याय और समतामूलक समाज बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी राय में कुछ दुविधा दिखती है- वह जातिमूलक गणना के पूरी तरह विरुद्ध नहीं, लेकिन इस प्रश्न पर संशयग्रसत है कि कहीं तो किसी मोड़ पर हमें जाति की पहचान से मुक्त होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी।

बहरहाल, 1931 के बाद पहली बार देश में जाति गिनने की बात चल पड़ी है- हालांकि कुछ सीमित अर्थों में। क्योंकि फिलहाल जो प्रस्ताव है, वह सिर्फ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की गणना का है। यही नहीं, इस पर अंतिम निर्णय मंत्रियों के समूह को लेना है। इस बीच इस मुद्दे पर नेताओं और राजनीतिक दलों की दुविधाएं भी सामने आती रही हैं। कांग्रेस के कई नेता जातिगणना के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं तो बीजेपी के भीतर जातिगणना के पक्ष में उठने वाली आवाजें दबाई जा रही हैं। ताजा खबर यह है कि आरएसएस ने इस मामले में जातिगणना के साथ खड़े होने पर बीजेपी की खिंचाई की है।

आखिर किसी आधुनिक समाज में वे निशानियां खत्म होनी चाहिए जिनसे लोग बंटते हों और उनके बीच दीवार खड़ी होती हो

इसमें शक नहीं कि जातिगणना होगी तो वह ऐतिहासिक कदम होगी जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। यह सच है कि ऐसी गणना के पहले एक कसक हमारे भीतर पैदा होनी चाहिए कि 50 साल में हम जातिगत पूर्वाग्रहों की इस सच्चाई से ऊपर उठ नहं पाए जिसे हमने दफन कर देने का फैसला किया था। आखिर किसी आधुनिक समाज में वे निशानियां खत्म होनी चाहिए जिनसे लोग बंटते हों और उनके बीच दीवार खड़ी होती हो।

इसीलिए आजादी के बाद हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने जातियों के आधार पर जनगणना कराना मंजूर नहीं किया था। तब कहीं यह ख्याल था कि ऐसी गिनती जातिवाद को मजबूत करेगी और यह सपना भी था कि नया लोकतांत्रिक भारत इन पुरानी बेड़ियों से आजाद हो जाएगा। एक अर्थ में हमारा संविधान बहुत क्रांन्तिकारी रहा, सदियों की मानसिक और सामाजिक गुलामी के पार जाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने बराबरी का एक सपना देखा और लिखा जिस पर भारत चल सके। हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक आधारों पर एक समतामूलक देश बनाना ही रहा था।

लेकिन 2,000 साल की सामाजिक संरचना नए दौर के राजनीतिक और आधुनिक सपने से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। इसीलिए समतामूलक समाज का सपना पीछे छूट गया और जातिमूलक पूर्वाग्रहों की सच्चाई ज़्यादा बड़ी हो गई। यह एक देश के रूप में हमारी विफलता है और यही वजह है कि समाज के एक बड़े हिस्से को जातियों की गिनती जरूरी लग रही है।

साफ है कि हम जातिगणना से जिस पुराने राक्षस के फिर से जीवित होने का डर दिखा रहे हैं वह कभी मरा ही नहीं। उसने अपना स्थूल रूप भले नष्ट कर दिया, लेकिन ज्यादा बारीक और सूक्ष्म स्तरों पर बचा रहा। दरअसल, जाति के आधार पर गिनती की अहमियत यहीं से दिखाई पड़ती है। कानून के हिसाब से जातियों का फर्क भले खत्म हो गया हो वह सामाजिक व्यवहार से, खासकर बेटी और रोटी के रिश्ते में खुलेआम बचा रहा और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवहार में छुपे तौर पर कायम रहा।

इस प्रक्रिया के कई नतीजे रहे। एक नतीजा देश के संसाधनों और संस्थानों पर अगड़ी जातियों के वर्चस्व और कब्जे के रूप में

दिखता है तो दूसरा नतीजा संसदीय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति की जातिवादी जकड़नों में नजर आता है। दुर्भाग्य से प्रशासनिक और सामाजिक नेतृत्व की बड़े पैमाने पर नाकामी ने जातिवाद को नए तर्क भी दिए नई खुराक भी। कई लोगों को लगता है कि 1990 में वीपी सिंह की राजनीति से पैदा हुई मंडल की परिघटना ने भारतीय समाज की दरार बढ़ाई। लेकिन सच्चाई यह है कि मंडल ने बस वह कालीन हटा दी जिसके नीचे जातिवाद की दरारों से भरा भारतीय समाज का फर्श दिखने लगा। यह दरार मौजूद थी, इसीलिए मंडल की मांग ने इतना तूफान पैदा किया, साफ तौर पर यह देश नौकरियों में आरक्षण का मामला भर नहीं था, देश के संसाधनों पर बराबरी के हक का मामला था। यह अनायास नहीं है कि मंडल के बाद पिछड़ा राजनीति लगभग पूरी तरह स्वायत्त हो गई। बेशक मंडल में आमूलचूल बदलाव की जो संभावना थी उसे उनके नेता समझ नहीं पाए और उन्होंने एक नई यथास्थिति के निर्माण में उसे जाया भर कर दिया। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मंडल ने भारतीय राजनीति की दरारों को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया। यही नहीं मंडल ने यह भी समझाया कि अंततः देश और समाज को बदलना है तो सत्ता के सूत्र को अपने हाथ में लेने होंगे।

यह सच्चाई है कि जाति गिनने से जाति खत्म नहीं होगी, लेकिन वह पिछले 70 साल से जाति न गिनने से भी खत्म नहीं हुई

इसी समझ का नतीजा है कि जिन पिछड़ी जातियों को अपनी जाति कभी ढकनी-छुपानी पड़ती थी वे मांग कर रहे हैं कि जनगणना के दौरान लोगों की जाति भी पूछी जाए और जिन लोगों का सारा जीवन अपनी जाति के अभिमान में बीता, अपने सजातीयों को नौकरी या सुविधा देते गुजरा, अपनी बेटी के लिए जाति के भीतर अच्छे वर खोजते कटा वे यह उपदेश दे रहे हैं कि जाति समाज को तोड़ेगी।

निश्चय ही जाति समाज को तोड़ती है। लेकिन यह किन लोगों की जाति है जो समाज को तोड़ रही है? इस देश के सबसे पढ़े-लिखे लोग, सबसे ज्यादा साधनों पर काबिज लोग अब भी अपनी जाति के बाहर देखने को तैयार नहीं है, महानगरों में जो एक नया खाता-पीता भारत बन रहा है उसके यहां जाति टूटी है तो बस अगड़ों के बीच, यहां तक कि अगड़े हिन्दु और अगड़े मुसलमान भी साथ दिख रहे हैं। लेकिन अब भी अगड़ी और पिछड़ी जातियों की शादियां नहीं के बराबर नजर आती हैं।

वाकई समाज को बचाने के लिए जाति को तोड़ना होगा। लेकिन जाति आसानी से नहीं टूटती। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जाति तोड़नी है तो भारत को रोटी और बेटी का नाता जोड़ना होगा। रोटी का नाता मन मारकर सामाजिक मजबूरियों में हम जोड़ने को तैयार हो गए, बेटी का नाता जोड़ने में अब भी हिचक दिखाई पड़ती है, सारे अगर-मगर के बावजूद फिलहाल हमें मानना होगा कि जाति अब भी एक बड़ी संरचना है जिससे हमारे निजी, पारिवारिक, सामाजिक और यहां तक कि राजनीतिक रिश्ते तय होते हैं। इस संरचना का विद्रूप यही है कि अगड़ी जातियों का एक छोटा-सा तबका राष्ट्रीय संपत्ति के बड़े हिस्से पर काबिज है।

कई लोगों का दावा है कि यह सच्चाई नहीं है। 1931 के जिस आंकड़े को हमारी आबादी के जातिगत अनुपात का आधार बनाया जाता है उसमें बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। उसका कोई नया आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर जाति और संपत्ति का, जाति और संसाधनों का अनुपात तय किया जा सके। लेकिन यह तर्क भी अंततः जातिगत आधार पर जनगणना के पक्ष में खड़ा होता है। अगर हम नया आंकड़ा चाहते हैं- तो हमें इसलिए भी चाहिए कि अपने समाज में पिछड़ी जातियों और पिछड़े समुदायों का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकें और उनके लिए जरूरी उपक्रम कर सकें- तो हमें जातियों के आधार पर लोगों की गिनती करनी होगी। जाति अगर

हमारी सामाजिक संरचना का अविभाज्य हिस्सा बनी हुई है तो इसे तोड़ने के लिए ही पहले इसे समझना होगा। अपने समाज की बुनावट और बनावट को ठीक से नहीं समझेंगे तो कौन-सी बराबरी लाएंगे, कैसे विकास लाएंगे?

दरअसल, जो लोग यह दुहाई देते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना से समाज बंटेगा वे या तो समाज से आंख चुराना चाहते हैं या फिर समाज को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। हम एक बंटे हुए समाज इसलिए बने रहे कि हमने अपनी दरारें भरने की जगह उन पर परदा डाल दिया।

जाहिर है इसके पीछे नादानी नहीं सयानापन है। उन लोगों का सयानापन जो जाति की चर्चा उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे जातिगत यथास्थिति के सारे लाभ अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। निश्चत ही जाति की गणना होगी तेा उसका पहला लाभ जाति की राजनीति करने वालों को मिलेगा। लालू, शरद या मुलायम सिंह यादव इसलिए भी यह गिनती चाहते हैं। लेकिन इस छोटे से खतरे को टालने के लिए हम एक ज्यादा बड़ी सामाजिक प्रक्रिया को समझने की जरूरत से इन्कार नहीं कर सकते।

यह सच्चाई है कि जाति गिनने से जाति खत्म नहीं होगी। लेकिन वह पिछले 70 साल से जाति न गिनने से भी खत्म नहीं हुई। जाति को खत्म करने के लिए एक ज्यादा बड़ी लड़ाई जरुरी है।

और सूचना के हक के इस दौर में यह समझाने की जरूरत नहीं कि इस लड़ाई के लिए भी जाति के बारे में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं होनी चाहिए, अपनी सामाजिक समरभूमि का एक साफ नक्शा होना चाहिए।

हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार की जनगणना के साथ जुड़े विशिष्ट पहचान पत्र के लिए हम अपनी दसों उंगलियों के निशान और अपनी आंखों की बायोमेट्रिक पहचान देने को तैयार हैं- बिना यह सवाल उठाए कि इससे पुलिस राज्य की मजबूती के अलावा और क्या हासिल होगा। लेकिन जाति की जिस गिनती से आखिरकार हमारी एक बड़ी लड़ाई का वास्ता है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं।

साभार - तहलका

नेल्सन मंडेला की जीवन यात्रा

18 जुलाई 1918	: दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की क्षेत्र के मैजो गांव में जन्म।
सन् 1920	: मंडेला अपनी माता व बहनों के साथ कुनू में रहने आए।
सन् 1925	: कुनू के स्कूल में प्रवेश।
सन् 1927	: पिता का निधन ।
सन् 1938	: फोर्ड हारे विश्वविद्यालय में प्रवेश।
सन् 1942	: पत्राचार के माध्यम से साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से स्नातक।
सन् 1944	: एवलिन मेस से विवाह। ए.एन.सी यूथ लीग के सह संथापक बने।
सन् 1947	: ए.एन.सी.वाई.एल के सचिव बने।
सन् 1950	: ए.एन.सी. के अवज्ञा आंदोलन के वालंटियर इन चीफ बने।
सन् 1957	: एवलिन से तलाक।
सन् 1958	: १४ जून को विनी मदिकजैला से विवाह।
सन् 1958	: राजद्रोह का मुकदमा लगा, पर बरी हुए।
सन् 1961	: ए.एन.सी की सशस्त्र सेना के प्रधान सेनानायक बने।
सन् 1962	: अन्य राष्ट्रों के दौरे के लिए गुप्त रूप से दक्षिण अफ्रीका से निकले। प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में बंदी।
सन् 1964	: रिवोनिया मुकदमा संपूर्ण। आजीवन कारावास।
सन् 1975	: जेल में संस्मरण लिखने आरंभ किए।
सन् 1980	: संयुक्त राष्ट्र संघ की मंडेला को रिहा करने की अपील।
सन् 1989	: राष्ट्रपति बोथा से मुलाकात। रिहाई की वार्ता विफल। नए राष्ट्रपति एफ.डब्ल्यू.डी क्लार्क से मुलाकात।
11 फर.1990	: 27 साल के बाद जेल से रिहा।
सन् 1993	: मंडेला और क्लार्क को संयुक्त रूप से शांति का नोबल पुरस्कार मिला।
सन् 1994	: मंडेला की आत्मकथा प्रकाशित।
10 मई 1994	: वयोवृद्ध राष्ट्रपति बने।
सन् 1996	: विनी मंडेला से तलाक।
सन् 1998	: ग्रेसा मिशेल से विवाह।
सन् 1999	: सक्रिय राजनीति से संन्यास।

त्रिवेणी संघ, बिहार, पटना

सम्पर्क कार्यालय- दारोगा राय स्मृति भवन, दारोगा राय पथ, पटना- 800001

22 अगस्त-05 सितम्बर (2010) (राम स्वरूप वर्मा की जयंती से लेकर जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस तक) को ''सामाजिक क्रांति विरासत पखवाड़ा'' के रूप में मनायें।

पिछड़े समाज के छात्र-छात्राओं, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों से अपील,

शोषित जनों का सबसे बड़ा अवलंब उसकी अपनी स्मृति होती है। अपने इतिहास और विरासत को याद करके उससे सबक लेता है, प्रेरित होता है और वर्तमान तथा भविष्य को शोषण से मुक्त कर बेहतर बनाने के लिए अग्रसर होता है। ''त्रिवेणी संघ ने ठाना है, इतिहास और विरासत को जिंदा रखना है।''

अगस्त महीना शोषित जनों के लिए घटनापूर्ण है। इसी महीने की सात तारीख को 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा करके सामाजिक क्रांति के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसी महिने के 18 अगस्त, 2007 को मुशहर जाति से आनेवाले महान श्रमवीर दशरथ मांझी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। खेतिहर मजदूर दशरथ मांझी ने अकेले बाइस वर्षो (1960-1982) तक छेनी-हथौड़ी से पहाड़ काटकर (360°25'30') गया जिले के अतरी तथा वजीरगंज प्रखण्डों की दूरी को 75 किलोमीटर से घटाकर 1 किमी. कर दिया था। इसी महीने के 21 अगस्त्र 2006 को मेहतर जाति में जन्मे महान शहनाई वादक तथा भारत रत्न विस्मिल्लाह साहब हमारे बीच से विदा लिये थे। एक उपेक्षित बाजा शहनाई को अछूत समाज से आनेवाले विस्मल्लाह साहब ने ऐसा बजाया कि शहनाई तथा बिस्मिल्लाह साहब दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गये। इसी महीने की 23 तारीख को 1943 ई. में धानुक समाज के रामफल मंडल को अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। और आगे चलें तो 23 अगस्त को ही 1944 में अंग्रेजी राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले में स्वतंत्र-समानांतर सरकार गठन करने तथा सशस्त्र संघर्ष गठन करने के जुर्म में मल्लाह समाज के जुब्बा साहनी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। ये तो बस कुछ नाम हैं।

हम 22 अगस्त से 05 सितम्बर, 2010 को, रामस्वरूप वर्मा की जयंती से जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस तक, 'सामाजिक क्रांति विरासत पखवाड़ा' के रूप में मनाने का आहवान करते हैं क्योंकि इस पखवाड़े में हमारे कई महापुरूषों का जन्म होता है।

सामाजिक क्रांतिकारों के लिए 22 अगस्त से 05 सितम्बर का विशेष महत्व है। 22 अगस्त, 1923 जन्मे को सामाजिक महान सामाजिक क्रांतिकारी रामस्वरूप वर्मा ने श्रमिक जातियों को ब्राह्मणवाद की मानसिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए 'अर्जक संघ' बनाकर सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया था। उनका दृढ़मत था कि भारत में चतुर्दिक क्रांतिकारी परिवर्तन सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति के बिना संभव नहीं है। अपनी सम्यक दृष्टि के आधार पर उन्होंने जगदेव प्रसाद के साथ मिलकर 'शोषित समाज दल' के नाम के राजनीतिक दल की भी स्थापना की। रामस्वरूप वर्मा चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री भी रहे। उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति पैदा करने के लिए कई पुस्तकों का लेखन किया जिसमें 'क्रांतिः क्यों और कैसे?' बहुचर्चित है।

25 अगस्त, 1918 को मंडल आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल का जन्म हुआ था। सामाजिक परिवर्तन लाने में मंडल आयोग की ऐतिहासिक भूमिका से सभी परिचित हैं। बी.पी. मंडल ने जगदेव प्रसाद के साथ मिलकर 25 अगस्त, 1967 को 'शोषित दल' बनाया था। इसी 'शोषित दल' ने शोषितों की निछक्की सरकार बिहार में पहली बार फरवरी, 1968 में बनाया जिसके मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल हुए। यह सरकार मात्र पैंतालिस दिनों तक चली किन्तु इसने बिहार में शोषित समाज में जन्मे नेताओं के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल दिया।

01 सितम्बर, 1911 को ललई सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में हुआ था। पुलिस विभाग की नौकरी करते हुए तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन धार्मिक ढोंग, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों, गैर-बराबरी तथा शोषण उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में बिताया। दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी ई. वी रामास्वामी नायकर पेरियार की कालजयीकृति 'सच्ची रामायण' की व्याख्या इन्होंने 'सच्ची रामायण की चाबी' के नाम से लिखा। इस क्रांतिकारी पुस्तिका को उत्तर प्रदेश सरकार से जब्त कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय दोनों जगहों से ललई ने सरकार के खिलाफ मुकदमा जीता। पेरियार की मृत्यु पर चेन्नई में आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में जब ललई बोलने के लिए उठे तो वहाँ की जनता ने इनके सम्मान में नारा लगाया- उत्तर भारत का पेरियार, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव।

02 सितम्बर, 1922 ई. को बिहार के मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय का जन्म हुआ। दारोगा बाबू ने कांग्रेस में रहकर भी पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए जो किया वह बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में रहकर भी वे कांग्रेस के सामंती-पूंजीवादी चरित्र की विधानसभा तथा विधानसभा के बाहर आलोचना करने से नहीं चूँकते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर पिछड़े समाज से आनेवाले आइएएस अधिकारी रामसेवक मंडल को मुख्य सचिव तथा आईपीएस अधिकारी राजेश्वर

लाल को डीआईजी (मुख्यालय) बनाकर बड़े साहस का परिचय दिया था। यही कारण था कि दस महीने बीतते-बीतते उनकी सरकार गिरा दी गयी।

05 सितम्बर, 1974 को जगदेव प्रसाद की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। तब तक जगदेव बाबू 'बिहार लेनिन' के नाम से विख्यात हो चुके थे। जब कुर्था में उनको गोली मारी गयी तो वे जाति शोषण के खिलाफ नब्बे प्रतिशत जमात को जगाने के अभियान पर निकले हुए थे। किसी राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने की स्वतंत्र भारत की यह पहली घटना थी और है। जगदेव बाबू का नारा-सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है- आज हर शोषित की जुबान पर है। जगदेव बाबू की शहादत सामाजिक क्रांति के आकाश में ध्रुव तारे की तरह दीप्तिमान है जो हमें हमेशा दिशा देता रहेगा।

त्रिवेणी संघ आप का आह्वान करता है कि 22 अगस्त से 5 सितम्बर (2010) की अवधि को 'सामाजिक क्रांति विरासत पखवाड़ा' के रूप में मनाये। इन महापुरूषों के जीवन, संघर्ष और कार्यों को याद करें तथा जन-जन तक पहुँचायें।

'जो कौम अपने इतिहास को भूल जाता है, वह, उसे फिर से दुहराने के लिए अभिशप्त होता है।'

अशोक यादव

संचालन समिति, त्रिवेण संघ, बिहार, पटना

मो. 9431465813, 8873805783, 9431891780, 9835062003

काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याणसंघ की स्थापना

हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि काशीगोमती संयुत ग्रामीण बैंक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याण संघ का गठन पिछले दिनों हुआ। जिसका पंजीकरण 7/12/2010 को सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत हुआ है। पंजिकरण संख्या 1608/2010-11 है। संगठन का पूरा नाम इस प्रकार है- ***काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याण संघ****। हम इस संयुक्त के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि संगठन सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध होकर उतरान्तर विकास के लिए कार्य करता रहेगा। हम संगठन से जुड़े सभी सदस्यों, प्रतिनिधियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।-* **सम्पादक**

काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के नव चयनित पदाधिकारीगण-

अध्यक्ष	श्री मेवालाल यादव	9415699188
उपाध्यक्ष	(1) श्री राम कुपाल मौर्य	8009176225
	(2) श्री रामफेर चौहान	9453671886
महासचिव	डॉ. श्याम नाथ सिंह	9415353938
संगठन सचिव	श्री रमाकांत यादव	9415273101
कार्यालय सचिव	श्री छोटे लाल यादव	9415838739
कोषाध्यक्ष	श्रीमती सुनिता निरंजन	9452246382

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य

1. श्री अमरदेव यादव	9450821360	2. श्री आर.के. शर्मा	9450414808
3. श्री अरूण कुमार मौर्य	9415893026	4. श्री प्रेम राम यादव	9335787271
5. श्री सहदेव यादव	9415945579	6. श्री सत्य प्रकाश सिंह	9415388491
7. श्री गोपाल विश्वकर्मा	9936013371	8. श्री अमरनाथ गुप्ता	9415651875
9. श्री बेचन यादव	9450820754	10. श्री चन्द्रशेखर निषाद	9795947293
11. श्री सुनिल कुमार प्रजापति	9794266194	12. श्री रामभोग प्रसाद	9473628207
13. श्री अरूण कुमार गुप्ता	9236086369	14. श्री भरत सिंह	9415290987
15. श्री लक्ष्मी यादव	9161067103		

भारत में पिछड़ा वर्ग अपने जन्म से अब तक कैसे-कैसे और किन-किन पड़ावों से होकर गुजरा है, उसकी चर्चा करने से पूर्व हम प्राचीन इतिहास के कुछ विशेष पन्नों पर दृष्टिपात करेंगे, ताकि इस तत्य को यथार्थ के धरातल पर उजागर किया जा सके। तवारीख गवाह है कि 1500 ई.पू. से 600 ई.पू. तक का काल भारत में आर्यों का आगमन माना जाता है, जिसे हमने वैदिक युग का नाम दिया है। जिसके एक आंशिक खण्ड 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक ऋग्वेद काल अथवा पूर्व वैदिक काल, जब भारतीय सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण थी तत्पश्चात 1000 ई.पू. से 600 ई.पू. तक की समयावधि उत्तर वैदिक काल के नाम से जानी जाती है, जब नगरों का भी प्रादुर्भाव हो चुका था।

वर्ण शब्द प्रारम्भ पूर्व वैदिक काल में हुआ। वर्ण व्यवस्था को तब समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। इस व्यवस्था से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और गुण के आधार पर चार भागों में विभक्त किया गया।

1. ब्राह्मण- जो पुरोहित, राज्य मन्त्री, ऋषि, उपदेशक, शिक्षक और आचार्य थो, उन्होंने वेदों का पठन-पाठन, शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान कराना तथा दान ग्रहण करने का कार्य किया। **2. क्षत्रिय-** जिनका कार्य देश अथवा राज्य को बाहरी एवं आन्तरिक सुरक्षा प्रदान करना था। उन्हें मात्र धनुर्विद्या ही सीखने का अधिकार दिया गया। **3. वैश्य-** जिनका कार्य कृषि, पशुपालन, उद्योग धन्धे और विभिन्न व्यवसायों द्वारा धनार्जन करना था और **4. शूद्र-** जिन्हें उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। छठी शताब्दी ई.पू. भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांन्ति के युग के रूप में विख्यात है, यह वह समय था जब धार्मिक जटिलतायें अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसलिये धार्मिक अनुष्ठान आम आदमी की पहुँच से परे होते जा रहे थे, ऐसे समय में लोग एक नवीन धर्म की खोज में जुटे हुए थे, जो सरल सुबोध और उच्चस्तरीय हो। उसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो महान पुरूषों का जन्म हुआ। जिन्होंने समाज में व्याप्त प्राचीन धार्मिक परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों का घोर विरोध किया और लोगों के समक्ष क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रखा। ये ऐसे धर्म थे जिन्होंने तत्कालीन जनता के धार्मिक विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप इनका प्रचार प्रसार बढ़ता ही गया। यहां तक कि बौद्ध धर्म में निहित व्यापकता और वैज्ञानिकता ने उसे विदेशियों को अपनाने के लिए भी विवश कर दिया और बौद्ध धर्म विदेशों में भी फलता-फूलता चला गया जो आज भी दुनिया के अनेक देशों में विद्यमान है। जबकि जैन धर्म, वर्ग विशेष का धर्म बनकर सिमिट कर रह गया।

चूंकि देश में धार्मिक नियमों का नियामक और निर्देशक और निर्देशक ब्राह्मण वर्ग ही था। जिन्होंने वैदिक साहित्य यथा- वेदों, उनकी संहिता, अरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना की। इसी कारण प्रचलित धर्म कालान्तर में ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रख्यात हुआ। तत्पश्चात यही धर्म हिन्दुधर्म के नाम से जाना गया। जिसमें ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था और रक्षा-कार्य क्षत्रियों के पास था, अन्य के नहीं। यही कारण रहा कि देश अनेकों बार बाहरी आक्रमणकारियों और लुटेरों का शिकार होता रहा। महमूद गजनवी, मुहम्मद बिन कासिम, मुगलों और फिर अंग्रेजों जैसे विदेशियों ने इसे जी भर के लूटा और शासन किया। भारत में सदैव से ही उच्च स्तरीय तीनों वर्णो को मिलाकर जो आबादी रही थी उससे कहीं अधिक आबादी, शूद्र जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग आता है, की रही है। पिछड़े वर्ग को पुनः उन्नति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के नाम से अलग-अलग भागों में बांटकर देखा जा रहा है।

वस्तुतः स्वतन्त्रता के बाद पिछड़े वर्ग को पढ़ने-लिखने तथा अन्य कार्य करने का अधिकार तो मिल चुका है। आजादी से पूर्व तक इस वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने, रक्षा कार्यो में भाग लेने और व्यापार करने का कोई हक नहीं था। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है **कि देश की इस बहुसंख्यक आबादी को विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग रखा गया।** चाहिए ये था कि हरएक को हर काम करने का अवसर होता तो आज देश का मानचित्र ही कुछ और होता। स्वतन्त्रता के बाद भी इस पिछड़े वर्ग को पिछड़ा ही बने रहने देने की कोशिश चलती रही है जो आज भी जारी है। बीसवीं सदी के अन्त यानि 13 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मण्डल आयोग की शिफारिशे स्वीकार करते हुए इस प्रकार अधिसूचना जारी की-

1. सरकारी सेवाओं में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए 27 फीसदी आरक्षण रहेगा।
2. सीधी भर्ती में भी यह आरक्षण जारी होगा, विस्तृत अनुदेशों को अलग से निकाला जायेगा, जो इस प्रक्रिया से सम्बन्धित होंगे।
3. अन्य पिछड़े वर्ग में वे अभ्यर्थी जो अपनी प्रतिभा के आधार पर चुने जायेंगे, 27 प्रतिशत आरक्षित कोटे में नहीं जायेंगे।
4. कथित आरक्षण दिनांक 7.8.1990 से प्रभावी होगा फिर भी जिन भर्तियों के प्रारम्भिक चरणों का आरम्भ इसकी घोषणा से पूर्व हो चुकी है, उसमें ये लागू नहीं होगा।

मात्र दो वर्ष की कालावधि के पश्चात ही सन् 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दे डाली कि पिछड़ों को आरक्षण तो मिलेगा परन्तु इन वर्गों के सामाजिक रूप से अग्रणी लोगों (क्रीमीलेयर) को इस लाभ से वंचित रखा जायेगा तथा पदोन्नतियों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आज भी इस आरक्षण को और भी विरल (डायलूट) करने की साजिश बराबर जारी है। पिछड़े वर्ग की सूची में निर्धारित जातियों में और अन्य जातियों को लगातार शामिल किया जा रहा है। अति पिछड़ों का एक नया विभाजन खड़ा कर, आपस में मतभेद पैदा करने की साजिश चल रही है,

लेकिन अब समय बदल चुका है, समय का प्रवाह रोकना मानव के बस की बात नहीं है। शिक्षा का अधिकार पाने के बाद इस मेहनतकश वर्ग का भविष्य, इसके श्रम पर टिका है, जो उज्जवल दिखाई दे रहा है।

पिछले वर्षों में मैंने किसी लेखक का एक लेख सम्बन्धित विषय में पढ़ा था, जिसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक है कि- अब मैं तो हिन्दू नहीं रहा। बस जाति ही रह गई है, आप उसे अपने अपने शब्दों में धर्म कह लीजिए, क्योंकि आपको गर्व से कहना है कि हम हिन्दु हैं। हम वर्षों से ब्राह्मण विचार और दर्शन को ही हिन्दू धर्म कहते आ रहे हैं। हमने वर्गों के पायदान पर ब्राह्मण को ही सदा ऊपर माना। उसने ही शास्त्र का विवेचन किया, व्यवस्था दी और उसका भाग्य ही धर्म कहलाया। उसी आप्त विचार के कारण अन्य जातियाँ अछूत और पिछड़ी रही। एक धर्म के लोग परस्पर स्पर्श न कर सके, साथ-साथ बैठ कर खा पी न सके, विवाह न कर सके। ऐसी स्थिति संसार के किसी अन्य धर्म में न होगी, जो हमारे इस महान देश के महान धर्म में है।

ऊँचे पायदान पर बैठा उच्च वर्ग यह क्यों नहीं कह देता कि पिछड़े वर्ग के लोग हिन्दू नहीं है। नहीं, जब वे जोड़ लगाते हैं तब वे उन्हें हिन्दू ही कहते हैं, जो सही भी है, क्योंकि ये भी समान देवी देवताओं और ग्रंथों को मानते हैं। पर जब आरक्षण का सवाल उठता है तो एक ही धर्म को मानने वाले अपने ही धर्म के लोगों की उन्नति की कल्पना में इतने उत्तेजित, निराश और चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? क्या श्रेष्ठ हिन्दू होने की पहल शर्त यह ही है कि पिछड़े और दबे पिसे लोगों को किसी तरह ऊपर न उठने दिया जाये। चाहे वे जाति धर्म बदल कर मुसलमान, इसाई और बौद्ध हो जायें, पर हिन्दू धार्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हीं लोगों को कभी समकक्ष स्वीकार न करें। ऐसा है तो मान लीजिए कि हिन्दू धर्म नामक कोई एकात्मता नहीं है, केवल जाति धर्म है, जातियों की मैत्री है, झगड़े हैं। यदि यही धर्म है तो यह झगड़े और परस्पर घृणा ही उसकी पहचान है।

इस समय धर्म के प्रमुख क्या सोच रहे हैं? वे धर्म पर सोच रहे हैं या जाति और वर्ग पर? शास्त्रों में लिखा होगा कि निम्न जाति का छुआ पानी न पिये। पर क्या यह भी लिखा है कि उसे नौकरी मिल रही हो, तो सिर पीटने लगे। यह कौन सा 'वसुधैव कुटुम्बकम' है जो अपने ही हिन्दू कुटुम्ब की दाल रोटी की सुरक्षा से परम व्यथित है?

हिन्दू, हिन्दू का ही विरोधी है। भगवान न करे के ये बहुसंख्यक वर्ग कभी सड़कों पर उतर आये जो हिन्दू धर्म को ही छिन्न भिन्न कर दे और उसकी एकता की पहले से ही कमजोर चली आ रही रीढ़को पूरी तरह तोड़ कर रख दे। पिछड़ों को और अधिक दबाने का विचार हिन्दुओं के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भावात्मक स्तर पर हम शून्य की ओर बढ़ रहे हैं।

उस पवित्र ईंट पर, जिसपर श्री राम लिखा है और जिसकी पूजा की गई, किसने बनाया? किसने मिट्टी खोदी, सानी, साँचे में ढाली और सेंकी? उसी पिछड़े ने तो, जिसके हितों के विरूद्ध हम हिन्दू ही चीख रहे हैं। हम धर्म के ठेकेदार है और वह ईंटों का। उसकी बनाई ईंटों से पवित्र मन्दिर बनेगा, गौरव की रक्षा होगी। परन्तु उसका सुख या सुख का भ्रम हमसे देखा नहीं जाता। कलश पर सोने की पॉलिश कराने के बाद उस कारीगर को नीचे उतार, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हम आलसी उसे मन्दिर के अन्दर घुसने नहीं देंगे। कितने महान हैं हम।

- होती लाल शाक्य
146/5, आवास विकास कालोनी
आगरा-7

Way to Nanjanagudu
Painting by artist M.J. Shuddhodhana

M.J. Shuddhodana,
a Master Artist of Karnataka

M.J. Shuddhodana
(Feb. 2, 1914 to Sept. 30, 2002)
The painting of a great Banyan in glowing sunset colors entitled "On way to Nanjangud" is vividly sketched in my memory.
Associated with Buddha this tree brought to mind several anecdotes of Buddhistic literature.

अपनी बात

वॉइस ऑफ ओबीसी के पिछले २-३ अंक पढने का सौभाग्य मिला. दलितो, पिछडो एवं शोषितो के संबंध मे परोसी गयी जानकारी के पिच्चहतर प्रतिशत अंशों से अभी तक अपरिचित रहा हूँ. इस समाज के अनेक उद्धारको के जीवनवृत क बारे मे कुछेक प्रसंगोंकी जानकारी के फलस्वरुप ज्ञात इतिहास से विश्वास डिग जाता है. इन अंको से प्राप्त जानकारी न केवल पठनीय है बल्कि संगहणीय हौ पिछडे समाज के सिविल सर्विसेज मे चयनित उम्मीदवारो के वृहद एवं ऐतिहासिक अभिनंदन समारो की भरपुर सफलता हेतु आप साधुवाद के पात्र हैं. आपके इन प्रयासो से समाज के निचले पायदान के तबके को एक सकारात्मक दिशा अवश्य मिलेगी. एक सुझाव, समाज की आधी आबादी और सर्वाधिक शोषित यानी स्त्रियों के संबंध मे नियमित विमर्श पत्रिका को और संपूर्णता प्रदान करेगी. पत्रिका अपने लक्ष्य मे फलीभूत हो, इसी कामना के साथ, **-राम मुरत राम,गाजीपुर**

वॉइस ऑफ ओबीसी प्रवेशांक से अब तक जितने भी अंक प्रकाशित हुए, मैंने उन्हें भलीभांति पढा है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस बहुसंख्यक वर्ग की देश मे आजतक उपेक्षा होती रही है उसे प्रेरित एवं उसकी प्रगति हेतु पत्रिका का कलेवर और भाषा प्रभावी प्रयास है. मैं इसके विकास एवं प्रगति की मंगल कामना करता रहूंगा कृपया शिक्षा,महिलाओं एवं बच्चों के स्तम्भ स्थायी बना दिए जायें तो पत्रिका का स्वरुप बदलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ.

-डा० एस०पी०सिंह, आगरा

वॉइस ऑफ ओबीसी का अंक ९-१० प्राप्त हुआ. २० पृष्ठों की यह पत्रिका बडे सलीके से सजाई गई है. पत्रिका के निहितार्थ उद्देश्यों से मैं अभिभूत हुआ. जानकर अच्छा लगा कि हमारे समाज के कुछ लोग समाज के उपेक्षित और बंचित तबको के विकास के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं.

मुखपृष्ठ पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्व०वी.पी.सिंह का चित्र महापुरुषों के साथ देखकर गर्व हुआ. निश्चि रुप से उन्हें यह स्थान दिया जाना चाहिए. पत्रिका निरन्तर प्रकाशित होती रही यही मेरी शुभकामना है. **- नेमीचंद विश्कर्मा, पटना**

आखिर पिछड़ी जाति पिछड़ी है तो क्यों है. इसकी कई एक वजह है, जैसे कि उनके अंदर चेतना और आत्मविश्वास का अभाव मूल मे दिखता है. भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व०वी.पी.सिंह ने अपने कार्यकाल मे पिछडी जातियों की चेतना से सरोकार रखनेवाली आरक्षण विधेयक का प्रस्ताव पारित कर पिछडी जाति
में चेतना की दीप प्रज्जवलित की थी. भले ही वह फलिभूत नही हुई पर चेतना की दीप ऐसी जली कि इन दो दशकों मे चेतना अपनी शैशव अवस्था से तरुणावस्था मे पहुंच गयी है, जो कि अपने आप मे एक बहुत बडी उपलब्धी है. हमारे संविधान के जटिल होने की वजह से आज भी पिछडी जाति कई तरह की सूचनाओं से दूर पर इस काम को वॉइस ऑफ ओबीसी मासिक पत्रिका इस क्षेत्र मे सराहनीय कार्य कर रही है, उत्तर भारत से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में अन्य कई तरह के कार्यों की सूचना मिलती है जो आम आदमी और दलित वर्ग से भी सरोकार रखती है. साधुवाद. **- संध्या आर्य, मुम्बई**

वॉइस ऑफ ओबीसी का प्रकाशन एक प्रसंशनिय कार्य है. इसके संपादन से जुडे सभी पदाधिकारियों को हमारा धन्यवाद. नये वर्ष के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनांए स्वीकार करें.

- डा० राहुल गजभिए, मुम्बई

पिछले ८-१० अंकों को देखने का अवसर मिला है . पिछडे तबकों एवं दलितों की सामाजिक स्थिति पर इससे पूर्व इस तरह की पत्रिका कम देखने को मिली. हालांकि दलित समुदाय ने अपने सामाजिक स्थिति को बिना किसी भ्रम के वास्तविकता को समझा और देश के कई हिस्सों से दलित वॉइस जैसी पत्रिकाएं निकली और निकल रही है. लेकिन पिछडे वर्गों के लिए बहुत ही कम पत्रिकाएं देखने को मिलती है. सबसे पहले हमारा साधुवाद स्वीकारें. मैं अपने समाज से भी आग्रह करुंगा कि ऐसी पत्रिकाओं को निरन्तर प्रकाशित करने हेतु सहयोग करते रहें ताकि सामाजिक स्थिति के सभी पहलुओं की जानकारी सबको मिलती रहे. **- कैलाश कुमार,जयपुर राजस्थान**

भाई संपादक महोदय, आप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हाशिये पर के लोगों के लिए आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. सच मायने में पिछले अंक में मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ कर मैं बहुत प्रेरित हुआ. इससे पहले भी छत्रपति साहुजी महाराज और ज्योतिराव फुले, पेरियार को पढा. बाबासाहेब अम्बेडकर को पढा. सबने संघर्षपूर्ण जीवन जीकर दलितों और पिछडों के नारकीय जीवन को मर्यादा दिलाने का काम किया. आपकी पत्रिका ने अपने इतिहास जानने के लिए काफी प्ररित किया है.

- प्रवीण रस्तोगी, जौनपुर

मित्र, यह खुशी की बात है कि आप जैसे समाजसेवी समाज में बदलाव का जज्बा लिए नायाब काम कर रहे है. मैनें अभी तक केवल वॉइस ऑफ ओबीसी केवल एक दो ही अंक देख पायें हैं, लेकिन कम पन्नों में यह एक उपयोगी पत्रिका है जिसे हम सभी को पढना चाहिए. आपसे आग्रह है कि कभी मंडल कमीशन पर विस्तृत रिपोर्ट छापें. लोगों को कमीशन की सिफारिशों का ज्ञान होना चाहिए.

- केशव यादव, मुम्बई

हम अपने प्रिय मित्रों,सहयोगियों एवं पाठकों से आग्रह करना चाहेगें कि **हमारी बात** के अंतर्गत कृपया छोटे पत्र लिखें ताकि अधिक से अधिक पत्रों को शामिल किया जा सके. हम आपके विचारों, अनुभवों का सदैव स्वागत करते हैं, पत्रिका को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, इस अर्थ में आपके सुझाव हमारे लिए मुल्यवान हैं. **- संपादक**

क्रान्ति हथियारों से नहीं विचारों से आती है

अशोक आनन्द

मानव जाति के विकास के साथ-साथ विषमता रुपी दानव ने भी अपना आकार बड़ा किया है। विषमताओं के रुप अनेक है। जाति के आधार पर विषमता, धर्म की विषमता, लिंग की विषमता और यहाँ तक कि रंग की विषमता ने आदमी के रुप में जन्मे इस मानव को पशुता का दर्जा दिया है। इस भू-मण्डल पर जब एक अबोध बालक जन्म लेता है तो वह मात्र एक मनुज पुत्र नहीं रहता, वह हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, जैन, इसाई, यहूदी पैदा होता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रुप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है।

इस देश में लिंग भेद की भी कहानी लम्बी है और भू-मण्डल के अनेक देशों में भी देखी जा सकतीहै। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से आप परिचित ही है। एक इंसान को इंसान के अधिकारों से वंचित इसलिए रखा जाता है कि वह काले रंग का है यानी काले और गोरे का भेद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अभिनव मनुष्य रचना में ठीक ही कहा था - यह मनुज ज्ञानी शृंगालों, कुक्करों से नीच/कड़कता जब भी उसमें स्वाभिमान/फूंकने लगते सब मृत्यु विषाण/इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल/छूटते हो वज्र शुभ धर्म अपना मूल।

यह मनुष्य इतना खतरनाक जानवर क्यों हो गया ? अपनी ही प्रजाति के पीठ पर चढ़कर सवारी करता है और सवारी जब हॉफते-हॉफते थक जाता है तो उसे कोड़े लगता है, उसके साथ पशुवत व्यवहार करता है। मनुष्य के शोषक प्रवृत्ति और विषमता मूलक भावना के खिलाफ महापुरुषों ने आज तक संघर्ष जारी रखा है।

सामाजिक न्याय के योद्धओं में कुछ अग्रणी नामों का उल्लेख यहाँ समीचीन होगा। इस भारत भूमि में पैदा हुए नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पेरियार रामा सामी, साहू जी महाराज, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. सिंह जैसे महान नायकों के संघर्ष, बलिदान और त्याग की कहानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे ये अमिट नाम सदियों तक हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारत भूमि से बाहर न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों में माननीय नेल्सन मंडेला का नाम बड़े ही श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस महान शख्सियत को सम्पूर्ण विश्व नमन करता है। दक्षिण अफ्रीका के क्रूर सत्ता ने सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ बोलने पर मंडेला साहब को सत्ताइस वर्षों तक जेल यातना से दण्डित किया। माननीय नेल्सन मंडेला के प्रति इस लम्बी जेल यातना और अमानवीय व्यवहार के लिए सम्पूर्ण मानवता शर्मसार हो गयी लेकिन इनके संघर्ष ने रंगभेद का खात्मा किया और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पद देकर आदर भी दिया। मुझे भी गर्व है कि मैंने इस महापुरुष के साथ लगभग पौन घंटे का समय व्यतीत किया। उनका यह सानिध्य मेरे जीवन की एक अविस्मरीणय घटना है। तत्कालीन सहायक निदेशक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय वाराणसी ने मुझे महामहिम के नौका विहार के दरम्यान संदर्शन का दायित्व सौंपा था। अक्टूबर 1990 की बात है। भारत आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। कलकत्ता जाने से पूर्व वे वाराणसी पधारे थे। भैंसासुर घाट (राज घाट) पर प्रशासन ने एक बड़ी मोटर बोट उनके नौका विहार के लिए लगायी थी। मुझे मोटर बोट पर आधे घंटे पहले पहुँचने का मौका मिला। मेरे हर्ष की सीमा नहीं थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस महान व्यक्तिव के साथ मुझे संभाषण का मौका मिलेगा। महामहिम की अगुवाई तत्तकालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायमन सिंह यादव ने की। साथ में महात्मा गांधी के पौत्र श्री राजमोहन गांधी भी उपस्थित थे। जैसे ही सभी गणमान्य अतिथि मोटर बोट पर पहुँचे श्री राजमोहन गांधी ने बातचीत की शुरुआत करतेहुए कहा "श्री मुलायम सिंह यादव पन्द्रह करोड़ जनता के मुखिया हैं"। बहैसियत संदर्शक मैंने महामहिम नेल्सन मंडेला को अपना परिचय दिया और घाटों की चर्चा शुरु कर दी। पंचगंगा घाट पर बाँसों में लटकते आकाश दीपों पर उनकी दृष्टि गयी। जैसे ही मैंने इन दीपों की चर्चा आगे बढ़ायी मंडेला साहब अपने स्थान पर खड़े हो गये और हमारी बातों में गहरी रुचि लेने लगे। सौम्य, शालीन इस आकर्षक व्यक्तिव ने मन-प्राणों को गहरायी से छू दिया। ऐसे जादुई व्यक्तिव के लोग दुनिया में कम मिलते हैं। करुणा व प्रेम से लबालब हृदय, मानव मात्र के प्रति इतनी गहरी चाह सब कुछ अद्वितीय, अविस्मरणीय और अतुल्य।

मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति रंगभेद से मुक्ति के इस महान पथ पर चलते हुए कैसे सत्ताइस वर्षों तक जेल की पीड़ा और मानसिक दंश को सह सकता है। कैसे कोई सत्ताइस वर्षों तक किसी एक संघर्ष को जारी रखते हुए हार नहीं मानता। कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी सत्ताइस वर्षों की तपस्या पूरी करता है, यह सब अविश्सनीय, पर सच है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुष से। शोषितों, वंचितों व पिछड़ों को लामबंद होकर समता, समानता के लिए जारी महायुद्ध की धार को और पैनी करनी होगी। भारत भूमि पर उतरते ही मा. नेल्सन मंडेला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मा. वी.पी. सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि "मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, उसका मुझे अनुमान है।" हमारी लड़ाई कठिन है, परन्तु विजयश्री दूर नहीं। अगर पूरी ताकत के साथ वर्तमान पीढ़ी लगे तो हम विषमता मूलक समाज की दीवार को धाराशायी कर सकेंगे और अपने जीते जी मानवता के माथे पर लगे इस विभेद के कंलक को धो डालेंगे।

शब्दों के आंदोलन की धार को / हमें, और तेज करनी होगी / क्योंकि हमारे जख्मों को फिर से कुरेदा जा सकता है / हमारे पास केवल शब्द हैं / संघर्ष को जारी रखने के लिए / यही हमारी ऊर्जा है / हम सामन्त तो नहीं है / नहीं कोई माफिया / फिर हमारे पास / हथियार बंद गिरोह कहा से होंगे / हमारे पास केवल शब्द है / उन्हीं को हमें आन्दोलन बनाना है / क्रांति हथियारों से नहीं, शब्दों से आती है।

जाति आधारित जनगणना पर संगोष्ठी

वाराणसी 19 सितम्बर-जाति आधारित जनगणना - सामाजिक न्याय के बढ़ते कदम, विषय पर एक वृहद गोष्ठी वाराणसी के होटल सुरभि इंटरनेशनल में आयोजित की गई। जिसमें नगर के गणमान्य बुद्धिजीवी शामिल हुए। गोष्ठी के अध्यक्ष श्री मुसाफिर, विशिष्ट अतिथि श्री रवीन्द्र राम एवं श्रीप्रकाश मौर्य थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इलाहाबाद से आए श्री जी.एस. शाक्या थे। गोष्ठी में भारत सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराये जाने के सभी पहलुओं पर विमर्श किए गए। वक्ताओं नें इस जाति आधारित जनगणना को समाज के सभी वर्गों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बताया। जब तक सभी जातियां / वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जाता तब तक सरकार द्वारा ठीक ठीक नीतियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विषय संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें निम्नांकित वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

श्री जी.एस.शाक्य सम्पादक बुद्ध ज्योति द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री अरुण प्रेमी समाजसेवी चिंतक द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री एस.पी. मौर्य अधिवक्ता द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री रवीन्द्र राम, बैंक प्रबंधक एवं समाजसेवी द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री जवाहर कोल द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री अमृतांशु बैंक प्रबंधक द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री अशोक आनंद संपादक, वॉइस ऑफ ओबीसी द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

श्री मुसाफिर, आयकर अधिकारी द्वारा संगोष्ठी में विचार प्रस्तुति

बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन

वाराणसी, 06 दिसम्बर 10, बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रातः सर्वप्रथम मंडलायुक्त माननीय श्री अजय उपाध्याय द्वारा बाबासाहब की विशालकाय प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात अन्य गणमान्य अतिथियों एवं उपस्थित जनमानस द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात अम्बेडकर पार्क के निकट कर्पूरी ठाकुर उद्यान में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री शिवबोध राम द्वारा महानायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों, विद्यार्थियों महिलाओं के लिए बाबा साहब एवं भगवान बुद्ध से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विशेष उल्लेखनीय यह रहा कि समाज के सभी वर्गों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिए। कार्यक्रम के उतरार्द्ध में राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें नगर के अनेक बुद्धिजीवियों एवं प्रशासनिक अविकारियां द्वारा विचार व्यक्त किए गए। अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं का पुरस्कार निर्धारित किए गए। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते अतिथिगण।

श्री अशोक आनंद विचार गोष्ठी का संचालन करते हुए

श्री अमृतांशु यूनियन बैंक प्रबंधक द्वारा सभागार संबोधन

श्री अरुण प्रेमी कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सभागार को संबोधन

श्री मुसाफिर आयकर अधिकारी संबोधित करते हुए

श्री प्रेम प्रकाश, DIG द्वारा सभागार संबोधन

श्री रविन्द्र, जिलाधिकारी द्वारा सभागार संबोधन

श्री अजय उपाध्याय मंडलायुक्त द्वारा सभागार संबोधन

श्री आर.पी. सिंह IG सभागार को संबोधित करते हुए

श्रीमती उषा भारती कोषाध्यक्ष, रमाबाई अं.क. समिति का सभागार संबोधन

डा. विनोद गुप्ता चिकित्सक द्वारा सभागार संबोधन

श्री आर.के. प्रसाद विक्रीकर आयुक्त सभागार को संबोधित करते हुए

श्री सूबेदार राम से.नि. अपर आयकर आयुक्त का संबोधन

श्री शिवबोध राम एमएलसी द्वारा सभागार संबोधन

श्री नंद किशोर यूनियन बैंक प्रबंधक द्वारा सभागार संबोधन

श्री ब्रजेश भारती स. अम्बेडकर मिशन का सभागार संबोधन

डॉ. विष्णुकान्त अशोक सभागार को संबोधित करते हुए

Nurturing your dreams
No collaterals. No third party guarantee.
Collateral free loans upto Rs. 100 lacs.
Union Bank brings you Collateral free loans for Micro and Small entrepreneurs.
CGTMSE guarantee cover available ranging from 85% to 50% of
the guaranteed amount upto Rs. 100 lacs
Conditions apply
www.unionbankofindia.co.in
Toll free: 1800 22 2244
यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank
of India
Good people to bank with